

HARYANA GOVERNMENT
SUPPLIES AND DISPOSALS DEPARTMENT

Notification

The 13th August, 2015

No. 2/5/2014-41B-II.— In exercise of the powers conferred by the makes provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby the following rules further to amend the Stores Purchase Department (Group C) Service Rules, 1982, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Stores Purchase Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2015.
2. In the Haryana Stores Purchase Department (Group C) Service Rules, 1982, in Appendix B against the post of Car Driver, under column 2 and 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

2	3
(i) Matric; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle atleast three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.	<p style="text-align: center;">By Promotion</p> (i) Matric; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle atleast three years old; (iii) Three years experience as Group-D employee; (iv) Should have passed the driving test conducted by the department; (v) Should not be colour blind; (vi) Should not be above fifty years old; (vii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education. <p style="text-align: center;">By transfer or deputation</p> (i) Matric; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle atleast three years old; (iii) Three years experience as Light Vehicle Driver; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vi) If not already working on the post of driver then his age should not be more than fifty years.

DEVINDER SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries & Commerce and Electronics and
Information Technology Department.

हरियाणा सरकार

पूर्ति एवं निपटान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अगस्त, 2015

संख्या 2/5/2014.4आई0वी0II.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भण्डारण खरीद विभाग (गुप-ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम हरियाणा भण्डारण खरीद विभाग (गुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भण्डारण खरीद विभाग (गुप-ग) सेवा नियम, 1982 में, परिशिष्ट ख में कार चालक पद के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

3.	4.
(i) मैट्रिक .	पदोन्नति द्वारा -
(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;	(i) मैट्रिक ;
(iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ,	(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ,
(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ,	(iii) गुप ध कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ,
(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत ,	(iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ,
	(v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ,
	(vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ,
	(vii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ,
	स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा -
	(i) मैट्रिक ;
	(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;
	(iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ,
	(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ,
	(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत ;
	(vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; ।

दंविन्द्र सिंह,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक एवं वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी सूचना विभाग।